

मास्टर परिपत्र

ऋण सीमा मानदंड और  
सांविधिक/अन्य प्रतिबंध

(30 जून 2013 तक अद्यतन)

(मास्टर परिपत्र भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट  
[www.rbi.org.in](http://www.rbi.org.in) पर उपलब्ध है।)



भारतीय रिज़र्व बैंक  
शहरी बैंक विभाग  
केंद्रीय कार्यालय  
मुंबई



भारतीय रिज़र्व बैंक

RESERVE BANK OF INDIA

[www.rbi.org.in](http://www.rbi.org.in)

आरबीआई/2013-14/16

शबैवि.पीसीबी.एमसी.सं. 1/13.05.000/2013-14

01 जुलाई 2013

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक

महोदया / महोदय

**मास्टर परिपत्र**

**एक्सपोजर मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध - शहरी सहकारी बैंक**

कृपया उपर्युक्त विषय पर [02 जुलाई 2012 का हमारा मास्टर परिपत्र शबैवि. बीपीडी \(पीसीबी\). एमसी.सं. 1/13.05.000/2012-13](#) (भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट [www.rbi.org.in](http://www.rbi.org.in) पर उपलब्ध) देखें। संलग्न मास्टर परिपत्र में 30 जून 2013 तक जारी सभी अनुदेशों/दिशानिर्देशों को समेकित एवं अद्यतन किया गया है तथा परिशिष्ट में उल्लिखित है।

भवदीय

(ए.के.बेरा)

प्रधान मुख्य महाप्रबंधक

संलग्नक: यथोक्त

केंद्रीय कार्यालय शहरी बैंक विभाग गारमेंट हाउस, पहली मंजिल वरली, मुंबई - 400 018

Telephone:022-24939930-49 / Fax:022-24974030, 24920231 / e-mail: [rbiubdco@rbi.org.in](mailto:rbiubdco@rbi.org.in)

CENTRAL OFFICE, URBAN BANKS DEPARTMENT, 1<sup>ST</sup> FLOOR, GARMENT HOUSE, WORLI, MUMBAI 400018

Telephone:022-24939930-49 / Fax:022-24974030, 24920231 / e-mail: [rbiubdco@rbi.org.in](mailto:rbiubdco@rbi.org.in)

बैंक हिंदी में पत्राचार का स्वागत करता है ।

मास्टर परिपत्र  
ऋण सीमा मानदंड और  
सांविधिक/अन्य प्रतिबंध  
विषय वस्तु

|      |  |    |
|------|--|----|
| 1.   | सामान्य  | 1  |
| 2.   | ऋण सीमा संबंधी मानदंड  | 1  |
| 2.1  | व्यक्तियों / सामूहिक उधारकर्ताओं के लिए ऋण की उच्चतम सीमा      | 1  |
| 2.2  | परिभाषाएं  | 2  |
| 2.3  | स्थावर संपदा क्षेत्र की ऋण सीमा                                | 6  |
| 2.4  | अंतर-बैंक ऋण सीमा  | 7  |
| 3.   | गैर-जमानती अग्रिमों की उच्चतम ऋण सीमा                          | 9  |
| 3.1  | वैयक्तिक उधारकर्ता तथा समूह उधारकर्ता के लिए सीमा              | 9  |
| 3.2  | गैर-जमानती अग्रिमों पर सकल उच्चतम सीमा                         | 9  |
| 4.   | सांविधिक प्रतिबंध  | 11 |
| 4.1  | बैंक के अपने शेयरों की जमानत पर अग्रिम                         | 11 |
| 4.2  | ऋण कम करने की शक्तियों पर प्रतिबंध                             | 11 |
| 5.   | विनियामक प्रतिबंध  | 11 |
| 5.1  | निदेशकों और उनके रिश्तेदारों को ऋण एवं अग्रिम मंजूर करना       | 11 |
| 5.2  | नाममात्र के सदस्यों को अग्रिम देने की अधिकतम सीमा              | 12 |
| 5.3  | अन्य बैंकों द्वारा जारी सावधि जमा रसीदों की जमानत पर अग्रिम    | 12 |
| 5.4  | पूरक (ब्रिज) ऋण / अंतरिम वित्त                                 | 12 |
| 5.5  | शेयरों, डिबेंचरों और बाँडों की जमानत पर ऋण और अग्रिम           | 13 |
| 5.6  | अधिमान्नी शेयर एण्ड लि के बदले में बैंक वित्त                  | 13 |
| 5.7  | गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों को बैंक वित्त                       | 14 |
| 5.8  | हाईयर परचेस फर्नासिंग तथा इक्विपमेंट लिजिंग के लिए वित्तपोषण   | 16 |
| 5.9  | कृषि कार्यकलापों के लिए वित्तपोषण                              | 17 |
| 5.10 | स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) संयुक्त देयता समूह (जेएलजी) को उधार | 17 |
| 5.11 | सांविधिक देय राशियों के चूककर्ताओं को अग्रिम देने पर प्रतिबंध  | 18 |
|      | अनुबंध 1   | 19 |
|      | अनुबंध 2   | 20 |
|      | परिशिष्ट   | 21 |

## मास्टर परिपत्र

### ऋण सीमा संबंधी मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध – शहरी सहकारी बैंक

#### 1. सामान्य

1.1 बेहतर जोखिम प्रबंधन के एक विवेकपूर्ण उपाय के रूप में और ऋण जोखिम की ओर केन्द्रित ध्यान को हटाने के उद्देश्य से प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों को -

- वैयक्तिक उधारकर्ताओं और गुप उधारकर्ताओं
- विशिष्ट क्षेत्रों
- गैर जमानती अग्रिमों और गैर जमानती गारंटियों

के लिए अपनी ऋण सीमाओं को निर्धारित करने के लिए सूचित किया गया है ।

1.2 इसके अलावा, इन बैंकों के लिए निम्नलिखित के बारे में कतिपय सांविधिक और विनियामक प्रतिबंधों का पालन करना आवश्यक है।

- (i) शेयरों, डिबेंचरों और बाँडों की जमानत पर अग्रिम
- (ii) शेयरों, डिबेंचरों और बाँडों में निवेश

1.3 इन सभी पहलुओं पर वर्तमान में प्रचलित अनुदेश निम्नलिखित परिच्छेदों में दिए गए हैं ।

#### 2. ऋण सीमा संबंधी मानदंड

##### 2.1 व्यक्ति/गुप उधारकर्ताओं को ऋण प्रदान करने की उच्चतम ऋण सीमा

2.1.1 प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों के लिए, अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से बैंक की पूंजीगत निधियों के संबंध में ऋण सीमा की एक उच्चतम सीमा तय करना आवश्यक होगा। इस प्रयोजन के लिए ऋण सीमा में पैरा 2.2.2(ख) में दिए गए विवरण के अनुसार ऋण सीमा (ऋण तथा अग्रिम) और निवेश ऋण सीमा (गैर-एसएलआर) दोनों निहित हैं ताकि -

- (i) किसी वैयक्तिक उधारकर्ता की ऋण सीमा पूंजीगत निधियों के 15 प्रतिशत से अधिक न हो और
- (ii) किसी उधारकर्ताओं के समूह की ऋण सीमा पूंजीगत निधियों के 40 प्रतिशत से अधिक न हो ।

2.1.2 ऋण की उच्चतम सीमा निर्धारित करने का कार्य प्रतिवर्ष बैंक के तुलनपत्र को अंतिम रूप देने और उसकी लेखापरीक्षा हो जाने के बाद किया जाना चाहिए और उसकी सूचना ऋण मंजूर करनेवाले अधिकारियों तथा बैंक के निवेश विभाग को दी जानी चाहिए ।

शेअरधारिता को ऋण से जोड़ दिए जाने के कारण तुलनपत्र की तारीख के बाद शेअरपूंजी में हुई वृद्धि अथवा कमी को ध्यान में रखते हुए बैंक अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से अर्ध वार्षिक आधारपर ऋण की उच्चतम सीमा के निर्धारण के लिए स्थिति के अनुसार उपलब्ध शेयर पूंजी की राशि को हिसाब में लेते हुए नई ऋण सीमा निर्धारित कर सकते हैं। तदनुसार, बैंक यदि चाहे तो 30 सितंबर की स्थिति के अनुसार मौजूद शेयर पूंजी की राशि को हिसाब में लेते हुए नए सिरे से ऋण सीमा का निर्धारण कर सकते हैं। तथापि, शेयर पूंजी में हुई वृद्धि को छोड़कर पूंजीगत निधियों, जैसे कि अर्धवार्षिक लाभ आदि, में हुई वृद्धि ऋण सीमा के निर्धारण के लिए हिसाब में लेने की पात्र नहीं होगी। बैंक यह भी सुनिश्चित करें कि वे भविष्य में पूंजी में और वृद्धि होने की प्रत्याशा को ध्यान में रखकर निर्धारित की गई सीमा से अधिक जोखिम नहीं उठाते हैं।

## 2.2 परिभाषाएं

### 2.2.1 पूंजीगत निधियां

ऋण सीमा मानदंड के प्रयोजन के लिए "पूंजीगत निधियों" में टियर I तथा टियर II

दोनों ही पूंजी निहित होगी जैसाकि हमारे पूंजी पर्याप्तता पर मास्टर परिपत्र में परिभाषित किया गया है।

2.2.2 ऋण सीमा के अंतर्गत ऋण सीमा (ऋण तथा अग्रिम) और निवेश ऋण सीमा दोनों ही शामिल होंगे जैसाकि नीचे दर्शाया गया है:

#### 2.2.2.1 ऋण सीमा :

(i) ऋण सीमा में

(ए) निधिक और गैर - निधिक ऋण सीमाएं और हामीदारी और उसी प्रकार की प्रतिबद्धता,

(बी) उपकरण पट्टेदारी एवं किराया खरीद वित्तपोषण के जरिए दी गई सुविधाएं,

(सी) आकस्मिक खर्चों को पूरा करने के लिए उधारकर्ताओं को मंजूर की गई तदर्थ सीमाएं शामिल होंगी।

(ii) ऋण सीमा में बैंक की अपनी मीयादी जमा राशियों की जमातन पर दिए गए ऋण और अग्रिम शामिल नहीं होंगे।

(iii) ऋण जोखिम की सीमा का पता लगाने के लिए मंजूर की गई सीमा या बकाया राशि, जो भी अधिक हो, हिसाब में ली जाएगी। इसके अतिरिक्त पूरी तरह आहरित मीयादी ऋणों के मामले में, जहां मंजूर की गई सीमा के किसी हिस्से के पुनः-आहरण की गुंजाइश न हो, बैंक ऋण जोखिम की सीमा का पता लगाने के लिए बकाया राशि की गणना करें।

(iv) गैर निधिक सीमा के संबंध में, ऐसी सीमा या बकाया का 100%; जो भी अधिक हो, को इस प्रयोजन के लिए हिसाब में लिया जाएगा।

(v) संघीय/बहुविध बैंकिंग/समूहन

प्रत्येक बैंक के शेयर का स्तर एकल उधारकर्ता/समूह की ऋण सीमा (एक्सपोजर) द्वारा नियंत्रित होगा।

### 2.2.2. (बी) निवेश ऋण सीमा (गैर-एसएलआर)

बैंकों को 'ए' अथवा समकक्ष रेटिंग वाले वाणिज्यिक पत्रों (सीपी), डिबेंचरों तथा प्रतिदेय किस्म के बांडों में निवेश करने की अनुमति होगी। तथापि, सतत ऋण लिखतों में निवेश की अनुमति नहीं है। बैंकों को ऋण म्यूचअल फंड तथा मुद्रा बाजार म्यूचअल फंड की इकाइयों में निवेश करने की अनुमति है।

ए) गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों में निवेश गत वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार बैंक की कुल जमाराशियों के 10 प्रतिशत तक सीमित होना चाहिए।

बी) गैर-सूचीबद्ध प्रतिभूतियों में निवेश किसी भी समय कुल गैर-एसएलआर निवेशों के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। जिन मामलों में बैंकों ने पहले ही 10 प्रतिशत की सीमा पार कर ली हो वहाँ ऐसी प्रतिभूतियों में किसी भी प्रकार के वृद्धिशील निवेश की अनुमति नहीं है।

शहरी सहकारी बैंकों द्वारा गैर एस एल आर ऋण प्रतिभूतियों में निवेश (प्राथमिक तथा अनुषंगी दोनों ही बाजारों में) जहां प्रतिभूति एक्सचेंज में सूचीबद्ध किए जाने का प्रस्ताव निवेश के समय सूचीबद्ध प्रतिभूति में निवेश के रूप में माना जा सकता है। यद्यपि, ऐसी प्रतिभूति निर्धारित समय में सूचीबद्ध नहीं होती है तो इस प्रकार के निवेश गैर सूचीबद्ध गैर एस एल आर प्रतिभूतियों के अंतर्गत शामिल 10 प्रतिशत की सीमा के लिए माना जाएगा। गैर सूची बद्ध गैर - एस एल आर प्रतिभूतियों में ऐसे निवेश शामिल करने पर इसे 10 प्रतिशत की सीमा का उल्लंघन समझा जाएगा तथा बैंक को उक्त सीमा तक पहुंचने तक गैर एस एल आर प्रतिभूतियों में निवेश करने की अनुमति नहीं होगी।

सी) उपर्युक्त सभी निवेश निर्धारित विवेकपूर्ण वैयक्तिक/समूह ऋण सीमाओं के भीतर होंगे।

डी) गैर एसएलआर श्रेणी के अंतर्गत सभी नए निवेशों के कारेबार के लिए धारित (एचएफटी) / बिक्रीके लिए उपलब्ध (एएफएस) केवल बाजार के लिए अंकित श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाए। यद्यपि आधारभूत संरचना गतिविधियों में लगी और न्यूनतम सात वर्षों की अवशिष्ट परिपक्वता रखनेवाली कंपनियों द्वारा जारी दिर्घवधिक बांडों में शहरी सहकारी बैंको द्वारा किया गया निवेश एच टी एम संवर्ग के अधीन वर्गीकृत किया जाएगा।

**2.2.3 समूह (ग्रुप) की परिभाषा के बारे में निर्णय को बैंक की धारणा पर छोड़ दिया गया है जिन्हें साधारणतः अपने ग्राहक वर्ग के मूल गठन की जानकारी होती है। कोई उधारकर्ता इकाई विशेष किस समूह से है, इसका निश्चय उनके पास उपलब्ध संबंधित जानकारी के आधार पर किया जा सकता है। इस बारे में मार्गदर्शी सिद्धांत है प्रबंधन और कारगर नियंत्रण में सामंजस्य होना।**

2.2.4 एक या एक ही तरह के अधिक साझेदारों के साथ एक ही प्रकार के कारबार जैसे कि वस्तु-निर्माण, प्रक्रिया, व्यापार आदि में लगी विभिन्न फर्मों को **सम्बद्ध समूह** एवं एक ही स्वामित्व के अंतर्गत आनेवाली इकाइयों को एकल पार्टी माना जाएगा।

### गैर जमानती अग्रिम

2.2.5 **गैर जमानती अग्रिमों** में निर्बाध ओवरड्राफ्ट, वैयक्तिक जमानत पर ऋण, खरीदी या भुनाई गई निर्बाध हंडियां या पारस्परिक हंडियां, वसूली के लिए भेजे गए चेकों की जमानत पर खरीदे गए चेक या अनुमत आहरण शामिल होंगे जब कि;

- (i) केन्द्र या राज्य सरकारें, सार्वजनिक क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं, बैंकों तथा निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम द्वारा समर्थित अग्रिम;
- (ii) केन्द्र या राज्य सरकारों, या राज्य के स्वामित्व वाले उपक्रमों पर आहरित आपूर्ति हंडियां जिनके साथ प्राधिकृत निरीक्षण नोट या रसीदीकृत चालान हों, की जमानत पर दिए गए अग्रिम;
- (iii) न्यासी रसीदों की जमानत पर दिए गए अग्रिम
- (iv) साख पत्र के अंतर्गत आहरित देशी डी/ए बिल की जमानत पर अग्रिम
- (v) अंतर्देशीय डी/ए हंडियां (ऐसी हंडिया भले ही साख - पत्र के अंतर्गत आहरित न की गई हों) जिनकी मीयाद 90 दिनों से अधिक न हो की जमानत पर दिए गए अग्रिम;
- (vi) वेतनभोगी कर्मचारियों को उनकी वैयक्तिक जमानत पर दिए गए अग्रिम, बशर्ते संबंधित राज्य के सहकारी सोसायटी अधिनियम में बैंक के दावों को पूरा करने के लिए नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के वेतन में से ऋण की किस्त की कटौती करने का बाध्यकारी प्रावधान हो और यह भी कि बैंक ने ऐसे प्रत्येक अग्रिम के संबंध में इस प्रावधान का लाभ उठाया हो ।
- (vii) निजी प्रतिष्ठित पक्षकारों पर आहरित आपूर्ति हंडियों और प्रतिष्ठित पब्लिक लिमिटेड कंपनियों और संस्थाओं के रसीदीकृत चालनों जो 90 दिनों से अधिक बकाया न हों, की जमानत पर दिए गए अग्रिम;
- (viii) उन बही ऋणों की जमानत पर अग्रिम जो 90 दिनों से अधिक बकाया न हों;
- (ix) सरकारों, सार्वजनिक निगमों और स्थायी स्वशासी संस्थाओं द्वारा जारी चेक;
- (x) निर्यात के लिए पैकिंग ऋण के रूप में अग्रिम
- (xi) खरीदे गये मांग ड्राफ्ट
- (xii) अंशतः जमानती अग्रिमों का जमानती अंश और
- (xiii) देय या देय होनेवाली संविदा राशि के कानूनी समनुदेशन की जमानत पर अग्रिम शामिल नहीं होंगे।

टिप्पणी: प्राथमिक सहकारी बैंक के निदेशक मंडल द्वारा यथाअनुमोदित भारतीय रेल, इंडियन एअरलाइंस निगम, या सड़क और जलमार्ग परिवहन परिचालकों की आधिकारिक रसीदों के बिना प्राप्त सभी विनिमय हंडिया निर्बाध हंडिया मानी जाएंगी ।

#### **फर्म/कंपनियों के निदेशक और रिश्तेदार का हित**

2.2.6 वह संस्था जिसमें किसी प्राथमिक सहकारी बैंक के निदेशक या उसके रिश्तेदार का हित निहित है, का तात्पर्य

- (i) मालिकाना हकवाली संस्थाएं/साझेदारी फर्म (हिन्दू अविभक्त परिवार की संस्था और व्यक्तियों के संघ सहित) जिनमें बैंक के किसी निदेशक या उसके रिश्तेदार का मालिक/साझेदार/समांशी के रूप में हित निहित हो।
- (ii) वे निजी/सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियां जहां बैंक का कोई निदेशक कंपनी को दिए गए ऋण और अग्रिम की चुकौती के लिए गारंटर रहा हो।

2.2.7 निदेशक का "रिश्तेदार" से तात्पर्य नीचे बताए गए अनुसार निदेशक के किसी भी

रिश्तेदार से है;

कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का रिश्तेदार तभी और केवल तभी माना जाएगा, यदि;

- (ए) वे हिन्दू अविभक्त परिवार के सदस्य हैं; या
- (बी) वे पति - पत्नी हैं; या
- (सी) एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से नीचे बताए गए अनुसार संबंधित है;

1. पिता
2. माता (सौतेली माँ सहित)
3. पुत्र (सौतेले पुत्र सहित)
4. पुत्र की पत्नी
5. पुत्री (सौतेली पुत्री सहित)
6. पुत्री का पति
7. भाई (सौतेले भाई सहित)
8. भाई की पत्नी
9. बहन (सौतेली बहन सहित)
10. बहन का पति

#### **अन्य वित्तीय सहायता :-**

2.2.8 कोई भी 'अन्य वित्तीय सहायता' में निधि और गैर-निधि ऋण सीमाएं और हामीदारियां एवं उसी प्रकार की निम्नलिखित प्रतिबद्धताएं शामिल हैं।

- (i) निधि आधारित सीमाओं में ऋण और अग्रिमों के रूप में खरीदे/भुनाए गए बिल, पोतलदानपूर्व और पोतलदानोत्तर ऋण सुविधाएं और उधारकर्ताओं को स्वीकृत पूंजीगत उपकरणों की खरीद एवं किसी अन्य प्रयोजन के लिए स्वीकृत पूंजीगत उपकरणों की खरीद एवं किसी अन्य प्रयोजन के लिए स्वीकृत सीमाओं सहित आस्थगित भुगतान गारंटी सीमा और ऐसी गारंटियां शामिल होंगी जिनके जारी करने पर कोई बैंक अपने ग्राहकों को पूंजीगत आस्तियां प्राप्त करने के लिए वित्तीय दायित्व स्वीकार करता है।
- (ii) गैर-निधि आधारित सीमाओं में साख-पत्र, गारंटियां और हामीदारियां एवं उसी प्रकार की प्रतिबद्धताएं शामिल होंगी।

**आवास, स्थावर संपदा, वाणिज्यिक स्थावर संपदा के लिए ऋण सीमा**

2.3 प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से, यह सुनिश्चित करने के लिए कि बैंक ऋण निर्माण गतिविधियों के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है न कि स्थावर संपदा की सट्टेबाजी के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए स्थावर संपदा ऋण की उच्चतम सीमा के संबंध में व्यापक विवेकपूर्ण मानदंड तैयार करें बशर्ते:

2.3.1 प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों को दी जानेवाली आवास, स्थावर संपदा, वाणिज्यिक स्थावर संपदा के लिए ऋण सीमा उनकी कुल संपत्ति के 10 प्रतिशत तक सीमित होना चाहिए और किसी व्यक्ति को ₹25 तक आवास ऋण या निवासी इकाई के निर्माण के लिए ऋण देना हो तो उक्त एक्सपोजर को कुल संपत्ति के 5 प्रतिशत से बढ़ाया जा सकता है।

2.3.2 टियर I शहरी सहकारी बैंक किसी निवासी इकाई के प्रत्येक लाभार्थी को ₹30.00 लाख रुपये की अधिकतम सीमा तक आवास ऋण दे सकते हैं। तथापि, टियर II शहरी सहकारी बैंक (वे अन्य सभी बैंक जो टियर I बैंक नहीं हैं \*) किसी निवासी इकाई के प्रत्येक लाभार्थी को मौजूदा विवेकपूर्ण ऋण-सीमाओं के अंतर्गत ₹ 70.00 लाख रुपये की अधिकतम सीमा तक वयैक्तिक आवास ऋण दे सकते हैं।

\* टियर I शहरी सहकारी बैंकों को निम्नानुसार श्रेणीबद्ध किया गया है:

- यूनिट बैंक अर्थात् एकमात्र शाखा/प्रधान कार्यालय वाले बैंकों तथा 100 करोड़ रुपये से कम जमाराशि वाले ऐसे बैंक जिनकी शाखाएं केवल एक जिले में स्थित हों।
- ऐसे बैंक जिनकी जमाराशि 100 करोड़ रुपये से कम हो तथा जिनकी शाखाएं एक से अधिक जिलों में स्थित हों, बशर्ते वे शाखाएं सटे हुए जिलों में स्थित हों तथा किसी एक जिले की शाखाओं की जमाराशियां एवं अग्रिम बैंक की अलग-अलग क्रमशः कुल जमाराशियों एवं अग्रिमों का कम से कम 95% हों, तथा
- ऐसे बैंक जिनकी जमाराशि 100 करोड़ रुपये से कम हो और जिसकी शाखाएं मूल रूप से एक ही जिले में थीं लेकिन बाद में वे बैंक जिले के पुनर्गठन के कारण बहु-जनपदीय हो गए हों।

उपर दी गयी परिभाषा में उल्लिखित जमाराशि और अग्रिम पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के 31 मार्च की स्थिति समझे।

2.3.3 कुल आस्तियों की गणना पिछले वर्ष के 31 मार्च के लेखापरीक्षित तुलन पत्र के आधार पर की जाए। कुल आस्तियों की गणना के लिए हानि, अमूर्त आस्तिया, प्राप्य बिल जैसे उभयपक्षी मदे शामिल न की जाए।

2.3.4 शहरी सहकारी बैंकों द्वारा बिना अग्रिम लिए अपेक्षाकृत छोटे निर्माण कार्य करनेवाले ठेकेदारों को उनकी निर्माण सामग्री की जमानत पर दिए गए कार्यशील पूंजी ऋण निर्धारित सीमा में शामिल नहीं है।

2.3.5 शहरी सहकारी बैंकों को पहले हायर फिनांसिंग एजेंसी तथा राष्ट्रीय आवास बैंक से प्राप्त पुर्नवित्त की सीमा तक आवास, स्थावर संपदा, वाणिज्यिक स्थावर संपदा को दिए जानेवाले ऋण की निर्धारित सीमा से अधिक ऋण प्रदान करने की अनुमति थी।

## 2.4 अंतर-बैंक ऋण सीमा

### 2.4.1 विवेकपूर्ण अंतर-बैंक(सकल) निवेश सीमा

मांग मुद्रा / सूचना मुद्रा और जमाराशियों सहित सभी प्रयोजनों के लिए अन्य बैंको (अंतर बैंक) में किसी शहरी सहकारी बैंक की कुल जमाराशियां यदि कुछ हो, और समाशोधन सुविधा, ग्राहकों की सामान्य खाता बही (सीएसजीएल) सुविधा, मुद्रा तिजोरी सुविधा, विप्रेषण सुविधा और बैंक गारंटी, साख-पत्र आदि जैसी गैर-निधि आधारित सुविधाओं के लिए रखी हो तो उसे 31 मार्च तक अपनी कुल जमा देयताओं के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। वाणिज्यिक बैंकों में और अनुमत अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों में जमलेखा तथा अंतर-बैंक के निवेश के रूप में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जारी जमाप्रमाण पत्रों में निवेश के रूप में धारित शेष को इस 20 प्रतिशत की सीमा में शामिल किया जाएगा।

### 2.4.2 विवेकपूर्ण अंतर-बैंक काउंटरपार्टी सीमा

विवेकपूर्ण अंतर बैंक (सकल) निवेश सीमा के भीतर किसी एकल बैंक के पास जमाराशियां गत वर्ष के 31 मार्च तक जमा करने वाली बैंक की कुल जमा देयताओं के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

#### विवेकपूर्ण सीमा में छूट

संबंधित जिले के मध्यवर्ती सहकारी बैंक अथवा संबंधित राज्य के राज्य सहकारी बैंक में शहरी सहकारी बैंकों द्वारा अनुरक्षित शेष को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 24 के प्रावधानों के अंतर्गत सांविधिक चलनिधि अनुपात माना जाएगा। इन जमाराशियों को अंतर-बैंक निवेश सीमा पर विवेकपूर्ण सीमा से छूट दी गयी है।

( पैरा 2.4.1 तथा 2.4.2)

### 2.4.3 गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों द्वारा अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों में रखी गई जमाराशियां

2.4.3.1 गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों को मजबूत शहरी सहकारी बैंकों में जमाराशि रखने की अनुमति है बशर्ते वे निम्नलिखित मानदंडों का अनुपालन करते हों:

- i) बैंक सीआरएआर के निर्धारित स्तर का अनुपालन करता हो।
- ii) बैंक का निवल एनपीए 7% से कम है।
- iii) बैंक ने पिछले दो वर्षों के दौरान सीआरएआर/एसएलआर बनाए रखने में कोई चूक न की हो।
- iv) बैंक ने पिछले दो वर्षों के दौरान लगातार निवल लाभ की घोषणा की हो।

- v) बैंक आय निर्धारण, आस्ति वर्धीकरण तथा प्रावधानीकरण, ऋण सीमा तथा निदेशकों को ऋण और अग्रिमों संबंधी विवेकपूर्ण मानदंडों का अनुपालन करता हो।
- vi) गैर अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक द्वारा अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक के पास जमाराशियां गत वर्ष के 31 मार्च तक जमा करने वाली बैंक की कुल जमा देयताओं के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

2.4.3.2 गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों से प्राप्त जमाराशियों की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के भी अधीन होगी:

- i) किसी गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक द्वारा स्वीकृत कुल अंतर-बैंक जमाराशि गत वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार उसकी मांग एवं मीयादी देयताओं के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए।
- ii) इस प्रकार की जमाराशियों पर दी जाने वाली ब्याज दर बाजार से जुड़ी होनी चाहिए।
- iii) तथापि, अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों को अन्य अनुसूचित/गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों में जमाराशि नहीं रखनी चाहिए।

### 3. गैर जमानती अग्रिमों की उच्चतम सीमा (जमानत सहित और बिना जमानत के)

3.1 गैर-जमानती अग्रिमों की सीमा (जमानत के सहित या रहित) निम्नानुसार है:

#### वैयक्तिक उधारकर्ता तथा समूह उधारकर्ता के लिए सीमा

| मापदंड   | 10 करोड रुपये तक मांग और समयदेयता वाले शहरी सहकारी बैंक | 10 करोड रुपये से अधिक तथा 50 करोड रुपये तक मांग और समयदेयता वाले शहरी सहकारी बैंक | 50 करोड रुपये से अधिक तथा 100 करोड रुपये तक मांग और समयदेयता वाले शहरी सहकारी बैंक | 100 करोड रुपये अधिक मांग और समयदेयता वाले शहरी सहकारी बैंक |
|--|---|---|--|--|
| 9 प्रतिशत या उससे अधिक सीआरएआर होनेवाले शहरी सहकारी बैंक | रु 1.00 लाख   | रु 2.00 लाख   | रु 3.00 लाख  | रु 5.00 लाख  |
| 9 प्रतिशत से कम सीआरएआर होनेवाले शहरी सहकारी बैंक        | रु 0.25 लाख   | रु 0.50 लाख   | रु 1.00 लाख  | रु 2.00 लाख  |

### 3.2 गैर - जमानती अग्रिमों की सकल उच्चतम सीमा

शहरी सहकारी बैंकों द्वारा उनके सदस्यों को प्रदान समग्र गैर- जमानती ऋण और अग्रिम (जमानत या जमानत के बिना या चेक खरीदी के लिए) पिछले वर्ष के 31 मार्च के लेखापरिक्षीत तुलनपत्र के अनुसार उनकी कुल आस्तियों के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए ।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिए जाने वाले ऋण को बढ़ावा देने और वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने वाले शहरी सहकारी बैंक रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन से अपनी कुल परिसंपत्ति के 25 प्रतिशत तक गैर ज़मानती (ज़मानत के साथ या गैर ज़मानत) ऋण प्रदान कर सकते हैं:

- i) बैंक के संपूर्ण ऋण पोर्टफोलियो प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के तहत सम्मिलित हों।
- ii) सभी ऋण, छोटे ऋण के रूप में अर्थात् 20,000/- तक ऋण एक खाते में दिए जाने चाहिए।
- iii) शहरी सहकारी बैंकों का सीआरएआर का मूल्यांकन 9 प्रतिशत तक होना चाहिए।
- iv) शहरी सहकारी बैंक का मूल्यांकित सकल एनपीए सकल अग्रिम के 10 प्रतिशत से कम होना चाहिए।

उपर्युक्त प्रयोजन के लिए पिछले वर्ष की 31 मार्च की वित्तीय मानदंडों की स्थिति के पर विचार किया जाए। मूल्यांकित सीआरएआर और सकल एनपीए का मूल्यांकन, रिज़र्व बैंक द्वारा हाल ही में किए गए निरीक्षण के अनुसार होगा।

कोई भी बैंक किसी ऐसे उधारकर्ता को जो किसी दूसरे बैंक से पहले से ही ऋण सुविधाएं ले रहा है, वित्तपोषित बैंक से "अनापत्ति प्रमाणपत्र" प्राप्त किए बिना वित्त प्रदान नहीं करेगा और जहां उधारकर्ता द्वारा ली गई ऋण सुविधा दिशानिर्देश में एकल पार्टी के लिए निर्धारित की गई सीमा से अधिक हो तो भारतीय रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन लेना आवश्यक होगा।

3.2.1 इस तथ्य के मद्देनजर कि वेतनभोगी बैंक किसी संस्था विशेष/संस्थाओं के समूह के वेतनधारी कर्मचारियों को अग्रिम प्रदान करते हैं जिसके लिए उनकी सदस्यता सीमित होती है और अग्रिम की वसूली नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के वेतन से कटौती करके की जाती है। वेतनभोगी बैंक निर्धारित सीमा से अधिक ऐसे अग्रिम मंजूर कर सकते हैं बशर्ते वे निम्नलिखित शर्तों का पालन करते हों:

- (i) संबंधित राज्य सरकार के सहकारी सोसायटी अधिनियम में बैंक के दावों को पूरा करने के लिए नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के वेतन से ऋण की आवधिक किस्त की कटौती करने का बाध्यकारी उपबंध किया गया हो।
- (ii) बैंक ने ऐसे प्रत्येक अग्रिम के लिए इस उपबंध का लाभ उठाया हो।
- (iii) बैंक ने कर्मचारी की मासिक आय को ध्यान में रखते हुए पे-पैकेट के गुणजों में ऐसे अग्रिमों के लिए एक सामान्य सीमा निर्धारित कर दी हो।

3.2.2 वेतनभोगी सोसायटियों को छोड़कर, प्राथमिक(शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा वेतनभोगी उधारकर्ताओं को दिए गए ऐसे अग्रिमों को जहां राज्य सहकारी सोसायटी अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अग्रिम की चुकौती उधारकर्ताओं के वेतन से कटौती करे सुनिश्चित की जाती है, सारे सदस्यों को मिलाकर दिए गए कुल गैर-जमानती अग्रिमों के अभिकलन के प्रयोजन के लिए जमानती अग्रिम के लिए हिसाब में लिया जाएगा। प्रत्येक वेतनधारी उधारकर्ताओं को अग्रिम प्रदान करते समय बैंक यह सुनिश्चित करे कि ये अग्रिम गैर-जमानती अग्रिमों की उच्चतम सीमा से, जैसा कि पैरा 3.1 में बताया गया है, अधिक नहीं होने चाहिए।

#### 4. सांविधिक प्रतिबंध

##### 4.1 बैंक के अपने शेयरों की जमानत पर अग्रिम

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 20 (1)(क) के अनुसार कोई भी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक अपने ही शेयरों की जमानत पर अग्रिम नहीं दे सकता है।

##### 4.2 ऋण कम करने की शक्तियों पर प्रतिबंध

4.2.1 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 20-क (1) यह निर्धारित करती है कि कोई भी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक, रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति लिए बिना निम्नलिखित द्वारा उसे देय किसी भी ऋण की सारी राशि या आंशिक राशि को कम नहीं करेगा;

(i) उसके किसी भूतपूर्व या वर्तमान निदेशक, या

(ii) कोई फर्म या कंपनी जिसमें उसके किसी भी निदेशक का निदेशक, साझेदार, प्रबंधकीय एजेंट या गारंटर के रूप में हित निहित हो, या

(iii) किसी व्यक्ति को, यदि उसका कोई निदेशक उस व्यक्ति का साझेदार या गारंटर हो

4.2.2 उक्त अधिनियम की धारा 20-क (2) के अनुसार ऊपर बताई गई उप-धारा (1) के उपबंधों के उल्लंघन में की गई कोई भी कमी अमान्य और अप्रभावी होगी।

#### 5. विनियामक प्रतिबंध

##### 5.1 निदेशकों और उनके रिश्तेदारों को ऋण और अग्रिम प्रदान करना

5.1.1 01 अक्टूबर 2003 से प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों को अपने निदेशकों या उनके रिश्तेदारों और उन फर्मों/कंपनियों/ संस्थाओं को जिनमें उनका हित निहित है, जमानती या गैर जमानती ऋण और अग्रिम या कोई भी वित्तीय सहायता देने से मना किया गया है। मौजूदा अग्रिमों को उनकी देय तारीख तक जारी रखने की अनुमति दी गई है। अग्रिमों को न तो आगे नवीनीकृत किया जाएगा और न ही आगे और दिया जाएगा।

5.1.2 निदेशकों से संबंधित ऋणों की निम्नलिखित श्रेणियों को उपर्युक्त अनुदेशों के दायरे से मुक्त रखा गया है।

- (i) शहरी सहकारी बैंकों के निदेशक मंडलों के स्टाफ निदेशकों को कर्मचारी संबंधी नियमित ऋण;
- (ii) वेतनभोगी सहकारी बैंकों के निदेशक मंडल के निदेशकों को सदस्यों पर लागू सामान्य ऋण तथा
- (iii) बहु-राज्यीय सहकारी बैंकों के प्रबंध निदेशकों को कर्मचारी संबंधी सामान्य ऋण।
- (iv) शहरी सहकारी बैंकों के निदेशकों और उनके रिश्तेदारों को उनके नाम की सावधि जमा और जीवन बीमा पालिसियों पर ऋण लेने की अनुमति दी गयी है।

5.1.3 बैंकों के लिए अपने निदेशकों और उनके रिश्तेदारों को दिए गए ऋण और अग्रिमों की सूचना प्रत्येक तिमाही की समाप्ति (अर्थात् 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर और 31 दिसंबर) पर अनुबंध 1 में दिए प्रोफार्मा में संबंधित तिमाही की समाप्ति से 15 दिनों के अंदर इस विभाग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को देना आवश्यक है।

5.1.4 बैंक प्रशासक/प्रभारी व्यक्ति द्वारा चलाए जाने की स्थिति में संबंधित बैंक को चाहिए कि वह विशेष अधिकारी/प्रशासक तथा उनके रिश्तेदारों द्वारा लिए गए ऋणों और अग्रिमों के संबंध में जानकारी प्रस्तुत करे।

#### नाममात्र के सदस्यों को अग्रिम की अधिकतम सीमा

5.2 बैंक नाममात्र सदस्यों को निम्नलिखित उच्चतम सीमा के अधीन उपभोक्ता वस्तुएं खरीदने के लिए अल्प/अस्थायी अवधि के लिए ऋण मंजूर कर सकते हैं:

|      | बैंक                                       | ऋण की उच्चतम सीमा                |
|------|--|----------------------------------|
| (i)  | 50 करोड़ रुपये तक की जमा राशिवाले बैंक     | प्रति उधारकर्ता 50,000/- रुपये   |
| (ii) | 50 करोड़ रुपये से अधिक की जमाराशिवाले बैंक | प्रति उधारकर्ता 1,00,000/- रुपये |

#### अन्य बैंकों द्वारा जारी सावधि जमा रसीदों (एफडीआर) की जमानत पर अग्रिम

5.3 बैंकों को अन्य बैंकों की एफडीआर/मीयादी जमा राशियों की जमानत पर अग्रिम मंजूर नहीं करने चाहिए।

#### पूरक (ब्रीज) ऋण/अंतरिम वित्तपोषण

5.4 प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों को पूंजी/डिबेंचरों के निर्गमी की जमानत पर दिए जानेवाले ऋणों सहित पूरक ऋण/अंतरिम वित्त पोषण और/या ब्रीजिंग स्वरूप के ऋणों के रूप में उन प्रस्तावों को स्वीकार करने से मना कर दिया गया है जहां बाजार से सभी प्रकार की गैर बैंकिंग कंपनियों

अर्थात् उपकरण लीजिंग, किराया खरीद, ऋण, निवेश और अवशेषी गैर बैंकिंग कंपनियों से पूंजी/जमा राशियों के रूप में दीर्घावधि निधियां जुटाई जानी हैं।

## **5.5 शेयरों, डिबेंचरों और बांडों की जमानत पर ऋण और अग्रिम**

### **5.5.1 शेयर दलालों (स्टॉक ब्रोकर्स) को बैंक वित्त**

5.5.1.1 शहरी सहकारी बैंकों को शेयर दलालों को शेयरों तथा डिबेंचरों/बांडों अथवा सावधि जमाराशियों, भारतीय जीवन बीमा निगम की पॉलिसियों आदि जैसी अन्य प्रतिभूतियों पर कोई निधिक या गैर-निधिक ऋण सुविधाएं, चाहे वे जमानती हों या गैर-जमानती, देने से प्रतिबंधित किया गया है।

5.5.1.2 शहरी सहकारी बैंकों को पण्य (कोमोडिटी) दलालों को कोई सुविधा प्रदान करने की अनुमति नहीं दी गई है। इसके अंतर्गत उनकी तरफ से गारंटियां जारी करना भी शामिल है।

5.5.1.3 म्युचुअल फंड की यूनिटों पर अग्रिम केवल व्यक्तियों को दिया जा सकता है जैसा कि शेयरों, डिबेंचरों तथा बाण्डों पर अग्रिम के मामले में किया जाता है। (पैरा 5.5.2)

5.5.2 यदि प्रतिभूति भौतिक रूप में हो तो शेयरों डिबेंचरों की प्राथमिक/संपाशिवक जमानत पर ऋण की सीमा 5 लाख रुपये तथा यदि प्रतिभूति डिमैट रूप में हो तो ऋण की राशि 10 लाख रुपये तक सीमित होगी।

5.5.3 इस प्रकार के सभी अग्रिमो पर 50% का मार्जिन बनाए रखा जाना चाहिए।

5.5.4 शेयरों और डिबेंचरों की जमानत पर दिए गए सभी ऋणों की कुल राशि बैंक की स्वाधिकृत निधियों के 20 प्रतिशत की सकल उच्चतम सीमा के अंदर होनी चाहिए।

5.5.5 बैंकों के लिए यह आवश्यक है कि वे प्रत्येक उधारकर्ता व्यक्ति और अन्य संस्थाओं को शेयरों की जमानत पर दिए गए ऋणों की बकाया राशि तिमाही आधार पर अनुबंध 2 में दिए गए फार्मेट में रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय को सूचित करें।

5.5.6 यह आवश्यक है कि शेयरों को जमानत के रूप में स्वीकारने से पहले बैंकों को एक यथोचित जोखिम प्रबंध प्रणाली आरंभ करनी चाहिए। सभी अनुमोदित ऋण प्रस्तावों को दो माह में कम से कम एक बार बैंक की लेखा परीक्षा के समक्ष रखना चाहिए। प्रबंध और लेखा परीक्षा समिति को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शेयरों की जमानत पर सारे ऋण केवल उन्हीं व्यक्तियों को दिए जाते हैं जो स्टॉक दलाली संस्था से किसी भी तरह से जुड़े नहीं हैं। मंजूर किए गए ऋणों के ब्योरे बोर्ड की आगामी बैठक में सूचित किए जाने चाहिए।

### **अधिमानी शेयर तथा लंबावधि (सबोरडिनेट) जमाराशियों की जमानत पर बैंक वित्त**

5.6 प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों को अन्य बैंकों द्वारा जारी सतत असंचयी अधिमानी शेयर (टियर I), अन्य अधिमानी शेयर (टियर II), जैसे सतत संचयी अधिमानी शेयर, प्रतिदेय असंचयी अधिमानी शेयर, प्रतिदेय संचयी अधिमानी शेयर तथा लंबावधि (सबोरडिनेट) जमाराशि (टियर I) में निवेश नहीं करना चाहिए और न ही उक्त लिखतों की जमानत पर अग्रिम मंजूर करना चाहिए।

## **5.7 गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं (एनबीएफसी) को बैंक वित्त**

5.7.1 सदस्य के रूप में एनबीएफसी को प्रवेश देना

- (i) प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक से ऋण अथवा अग्रिम लेने के लिए उसका सदस्य होना आवश्यक है। तथापि, प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों से सामान्यतः यह अपेक्षित नहीं है कि वे गैर-वित्तीय कंपनियों को (बैंक के कारोबार के साथ स्पर्धा या प्रतिद्वंद्विता करनेवाली निवेश और वित्तीय कंपनियां और व्यक्ति) अपना सदस्य बनाएं क्योंकि यह संबंधित राज्य सहकारी सोसायटी अधिनियम का उल्लंघन होने के साथ-साथ आदर्श उप-विधि संख्या 9 के उपबंधों के अनुरूप भी नहीं होगा। अतः बैंकों को किराया खरीद/लीजिंग में कारोबार करनेवाली उन बीएफसी को छोड़कर अन्य एनबीएफसी को वित्तपोषण प्रदान नहीं करना चाहिए।
- (ii) इसी प्रकार उन बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सदस्य के रूप में प्रवेश देना जो लीजिंग/किराया खरीद के कारोबार से अभिन्न रूप से नहीं जुड़ी हैं; संबंधित राज्य सहकारी सोसायटी अधिनियम और आदर्श उपविधि संख्या 9 के विरुद्ध होगा। इसलिए प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों के लिए यह आवश्यक होगा कि वे ऐसी लीजिंग/किराया खरीद कंपनियों को सदस्य बनाने से पहले संबंधित निबंधक, सहकारी सोसायटियों का पूर्वानुमोदन प्राप्त कर लें।

**किराया खरीद/लीजिंग कार्यकलापों में कार्यरत एनबीएफसी को वित्तपोषण प्रदान करने के लिए पात्र कार्यकलाप**

5.7.2 ऋण सीमा संबंधी निर्धारित मानदंडों एवं ऊपर बताए गए प्रतिबंधों के भीतर प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक जिनकी सकल पूंजीगत निधियां 25 करोड़ रुपये और अधिक हैं, उपकरण लीजिंग/किराया खरीद कंपनियों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन वित्तपोषण प्रदान कर सकते हैं;

|      | एनबीएफसी का प्रकार  | बैंक वित्त की अधिकतम सीमा                    |
|------|---|--|
| (i)  | वे उपकरण लीजिंग/किराया खरीद कंपनियां* जिनकी उपकरण लीजिंग/किराया खरीद में आस्तियां 75% से कम नहीं हैं और कंपनी के पिछले लेखा परीक्षित तुलनपत्र के अनुसार उनकी सकल आय में 75% आय उक्त दो कार्यकलापों से होती हो | एनबीएफसी की निवल स्वाधिकृत निधियों का 3 गुना |
| (ii) | अन्य उपकरण लीजिंग व किराया खरीद कंपनियां  | एनबीएफसी की निवल स्वाधिकृत निधियों का 2 गुना |

\* इक्विपमेंट लीजिंग एण्ड हायर परचेज कंपनियों को अब "असेट फाइनेन्स कंपनी" के नाम से जाना जाता है।

**टिप्पणी:**

- (i) बैंक वित्त की अधिकतम सीमा एनबीएफसी द्वारा उधार लेने की सकल उच्चतम सीमा के भीतर उनकी स्वाधिकृत निधियों का 10 गुना तक होनी चाहिए ।

- (ii) लीजिंग संस्था को बैंक वित्त "पूर्ण प्रदत्त" लीज तक सीमित होना चाहिए अर्थात् वे लीज जहां आस्ति का लागत मूल्य प्राथमिक लीज अवधि में ही वसूल कर लिया गया हो और आगे इसमें केवल नए उपकरण की खरीद शामिल होनी चाहिए ।
- (iii) विवेकपूर्ण नीति के अनुसार अगले पांच वर्षों तक देय लीज किराया को ही ऋण देने के प्रयोजन के लिए हिसाब में लिया जाना चाहिए।

### 5.7.3 किराया खरीद/लीजिंग कार्यकलापों में जुडी एनबीएफसी को वित्तपोषण प्रदान करने के संबंध में अपात्र कार्यकलाप

- (i) किराया खरीद/लीजिंग कार्यकलापों में लगी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा किए जा रहे निम्नलिखित कार्यकलाप बैंक ऋण के लिए पात्र नहीं हैं। इसलिए इन मदों को, सभी श्रेणी की एनबीएफसी के लिए स्वीकार्य बैंक वित्त का परिकलन करते समय चालू आस्तियों में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।
  - (ए) एनबीएफसी द्वारा भुनाए/पुनर्भुनाए गए बिल, विशिष्ट रूप से अनुमत बिलों को छोड़कर
  - (बी) चालू स्वरूप के शेयरों/डिबेंचरों आदि अर्थात् स्टॉक-इन ट्रेड में किया गया निवेश
  - (सी) अनुषंगी कंपनियों, सामूहिक कंपनियों या अन्य संस्थाओं में निवेश/को अग्रिम तथा
  - (डी) अन्य कंपनियों में निवेश और आंतर कंपनी ऋण/जमा राशियां
- (ii) ऊपर (ए) और (बी) में उल्लिखित मदों के संबंध में बैंको को अनुमानित निवल कार्यशील पूंजी में कोई समायोजन नहीं करना चाहिए। यह भी सूचित किया जाता है कि अनुमानित निवल कार्यशील पूंजी चालू परिचालनों के समर्थन में उपलब्ध दीर्घावधि अधिशेष दर्शाती हैं, इसलिए स्वीकार्य बैंक वित्त के अधिकतम स्तर को घटाते समय चालू आस्तियों के स्तर में परिवर्तन/काट-छाँट करने के फलस्वरूप समयोजित नहीं किया जाना चाहिए।

### 5.7.4 अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा एनबीएफसी को वित्तपोषण प्रदान करना

- (i) अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक हल्के वाणिज्यिक वाहनों, दुपहिया वाहनों, तिपाहिया वाहनों सहित वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री से उत्पन्न एवं एनबीएफसी द्वारा भुनाए गए बिलों की ऋण देने के सामान्य सुरक्षा उपायों के अधीन एवं निम्नलिखित शर्तों पर पुनर्भुनाई कर सकते हैं:
  - (ए) बिल निर्माताओं द्वारा डीलरों पर आहरित किए गए हों,
  - (बी) बिल वास्तविक बिक्री लेनदेनों से संबंधित हों जिनकी वास्तविकता का पता चेसिस/इंजिन नंबरों से लगाया जा सकता हो, तथा

- (सी) बिलों की पुनर्भुनाई से पहले अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों को बिलों की भुनाई करनेवाली एनबीएफसी की वास्तविकता और पिछले रेकार्ड से आश्वस्त हो लेना चाहिए।
- (ii) **अनुसूचित** प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक ट्रक खरीदने के लिए छोटे सड़क और जलमार्ग परिवहन परिचालकों को उधार देने के लिए बैंक वित्त पाने की पात्र एनबीएफसी को वित्तपोषण प्रदान कर सकते हैं और ऐसे अग्रिमों को प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत कर सकते हैं बशर्ते अंतिम उधारकर्ता (छो.स.ज.प.प) प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाने के लिए आवश्यक पात्रता पूरी करते हों।
- (iii) कृषि के लिए आगे उधार देने के लिए **अनुसूचित** प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक एनबीएफसी को और अन्य वित्तीय मध्यस्थियों को वित्तपोषण प्रदान कर सकते हैं और उसे कृषि के लिए अप्रत्यक्ष वित्तपोषण के रूप में प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार के प्रयोजन के लिए हिसाब में ले सकते हैं।
- (iv) अतिलघु क्षेत्र में खाद्य और कृषि प्रक्रिया उद्योग को आगे ऋण देने के लिए अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक एनबीएफसी और अन्य वित्तीय मध्यस्थियों को वित्तपोषण प्रदान कर सकते हैं और ऐसे वित्तपोषण को इस बात से आश्वस्त हो लेने पर कि अंतिम उधारकर्ता के स्तर पर संबंधित मानदंडों का पालन किया गया है, प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत कर सकते हैं।

## 5.8 हाईयर परचेस फि नांसिंग तथा इक्विपमेंट लिजिंग को वित्तपोषण प्रदान करना

5.8.1 भारत सरकार की 12 दिसंबर 1995 की अधिसूचना के अनुसार प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक हाईर परचेस तथा इक्विपमेंट लिजिंग कारोबार कर सकता है। अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक को यह कार्यकलाप करने की अनुमति है। अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों को यह सूचित किया जाता है कि वह यह सुनिश्चित करें कि:

- (i) यह कार्य बैंकों के चयनित शाखाओं में ही किया जाता है।
- (ii) इन कार्यों को ऋण और अग्रिम के समान समझना चाहिए तथा यह व्यक्तिगत / समूह उधारकर्ता के लिए विद्यमान ऋण संबंधी मानदंडों के अधीन होंगे।
- (iii) बैंकों को समग्र ऋण की तुलना में इक्विपमेंट लिजिंग, हाईयर परचेस का संतुलित पोर्टफोलियो रखना चाहिए। इन कार्यों के लिए ऋण जोखिम कुल अग्रिम के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- (iv) यह कार्य करनेवाले बैंकों को विवेकपूर्ण लेखा मानकों का अनुपालन करना चाहिए। संपूर्ण लिज रेंटल को बैंक के आय लेखे में शामिल नहीं करना चाहिए। केवल ब्याज घटक आय लेखे में शामिल करें। आस्ति की प्रतिस्थापन लागत दर्शानेवाला घटक तुलन पत्र में मूल्यहास के लिए प्रावधान के रूप में दिखाए।
- (v) सावधानी उपाय के रूप में आस्ति की प्राथमिक लिज की अवधि में पूर्ण मूल्यहास प्रदान किया जाना चाहिए।

(vi) अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों द्वारा दिए गए लिजिंग तथा हाईयर परचेस फिनांसिंग को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार के रूप में वर्गीकृत किया जाए। बशर्त भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को अग्रिम के लिए निर्धारित पात्रता मानदंड लाभार्थी पूर्ण करता हो।

यह कार्य करने के लिए इच्छुक गैर-अनुसूचित बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक की अनुमति ले।

### 5.9 कृषि कार्य-कलापों के लिए वित्तपोषण

5.9.1 प्राथमिकताप्राप्त (शहरी) सहकारी बैंकों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत कृषि कार्य-कलापों को वित्तपोषण प्रदान करने की अनुमति दी गई है:

(i) बैंक केवल सदस्यों को (नाममात्र सदस्यों को नहीं) प्रत्यक्ष वित्त पोषण प्रदान करेंगे लेकिन प्राथमिक कृषि क्रेडिट सोसायटी और प्राथमिक भूमि विकास बैंक आदि जैसे एजेंसियों के मार्फत प्रदान नहीं करेंगे।

(ii) उस क्षेत्र में कार्यरत मौजूदा क्रेडिट एजेंसियों से "कोई राशि देय नहीं प्रमाणपत्र" प्राप्त करने के बाद ही ऋण प्रदान करेंगे।

(iii) बैंक वित्त-मान का पालन करेंगे और भारतीय रिज़र्व बैंक/नाबाई द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार जमानत प्राप्त करेंगे।

### 5.10 स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) संयुक्त देयता समूह (जेएलजी) को ऋण

5.10.1 शहरी सहकारी बैंक स्वयं सहायता समूह /संयुक्त देयता समूह को, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से बनायी नीति के अनुसार उधार दे सकते हैं।

5.10.2 शहरी सहकारी बैंक स्वयं सहायता समूह /संयुक्त देयता समूह को सीधे ऋण देने की पद्धति अपनाएं। मध्यस्थों के माध्यम से उधार देने की अनुमति नहीं है।

5.10.3 गैर-जमानती ऋण और अग्रिम प्रदान करने पर विद्यमान सीमाएं (व्यक्तिगत और कुल) स्वयं सहायता समूहों को उधार देने पर लागू नहीं हैं। तथापि शहरी सहकारी बैंकों द्वारा संयुक्त देयता समूहों को मूर्त जमानत से समर्थित ऋण की सीमा तक उसे गैर-जमानती समझा जाएगा तथा गैर-जमानती ऋण और अग्रिमों की सीमा के अधीन होगा।

5.10.4 स्वयं सहायता समूह /संयुक्त देयता समूहों को दिए गए ऋण पर वैयक्तिक एक्सपोजर सीमा के दिशानिर्देश लागू होंगे।

5.10.5 स्वयं सहायता समूह को दिए जानेवाले ऋण की राशि समूह की बचत राशि के चार गुना से अधिक नहीं होनी चाहिए। अच्छी तरह प्रबंधित स्वयं सहायता समूहों के मामले में समूह की बचत के दस गुना सीमा तक यह सीमा बढ़ायी जा सकती है। समूह को वस्तुपरक मापदंड के आधार पर जैसे सिद्ध ट्रेक रिकार्ड, बचत का पैटर्न, वसूली दर, हाउस किपिंग, रेटिंग दिया जाए।

### 5.11 सांविधिक देय राशियों के चूककर्ताओं को अग्रिम देने पर प्रतिबंध

5.11.1 कानून के अंतर्गत, उधारकर्ता नियोक्ता के दिवालिया हो जाने पर या उसके कारोबार बंद कर दिए जाने पर भविष्य निधि के प्रति कर्मचारियों/सदस्यों के वेतन से छः माह से अधिक अवधि के लिए काटा गया अभिदान यदि आयुक्त को नहीं भेजा जाता है तो उधारकर्ता की आस्तियों पर वह प्रथम

प्रभार होगा। उन परिस्थितियों में प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों को ऐसी सांविधिक देय राशियों की तुलना में अपने हितों की रक्षा करनी चाहिए।

5.11.2 अतः बैंकों को उधारकर्ताओं से इस बात का घोषणापत्र लेकर आश्वस्त हो लेना चाहिए कि उधारकर्ता की ओर से भविष्य निधि और अन्य सांविधिक देय राशियां बकाया नहीं हैं और ऐसी सभी देय राशियां अदा कर दी गई हैं। उन्हीं हालातों में प्रमाण की मांग की जानी चाहिए जब बैंक के पास उधारकर्ता के घोषणापत्र पर संदेह करने का कोई ठोस कारण हो। प्रमाण आवश्यक होने पर भी उधारकर्ता के लिए क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त से इस आशय का प्रमाणपत्र लेकर प्रस्तुत किया जाना जरूरी नहीं है। देय राशियों के भुगतान के समर्थन में रसीद का प्रस्तुत किया जाना या उधारकर्ता के लेखा परीक्षक का प्रमाणपत्र या उसी प्रकार का कोई प्रमाण पर्याप्त होगा। बीमार इकाइयों के मामलों में जहां बकाया उधारकर्ताओं के नियंत्रण से बाहर कारणों की वजह से है वहां बैंक ऐसे मामले के गुण-दोषों के आधार पर विचार कर सकते हैं।

प्रोफार्मा - I

बैंक के निदेशकों (रिश्तेदारों सहित) को मंजूर किए गए

ऋण और अग्रिमों से संबंधित जानकारी

(देखें पैरा 5.1.3)

बैंक का नाम :

किस तारीख को स्थिति :

| मंजूर सीमा (लाख रुपये में) |                  |                          |                  |           |        |            |                          |                        |
|----------------------------|------------------|--------------------------|------------------|-----------|--------|------------|--------------------------|------------------------|
| क्रमांक                    | उधारकर्ता का नाम | मंजूरी/नवीनीकरण की तारीख | सुविधा का प्रकार |           | जमानती | गैर-जमानती | जमानत का स्वरूप और मूल्य | देय/परिपक्वता की तारीख |
|                            |                  |                          | निधिक            | गैर-निधिक |        |            |                          |                        |
| 1                          | 2                | 3                        | 4                | 5         | 6      | 7          | 8                        | 9                      |
|                            |                  |                          |                  |           |        |            |                          |                        |

| बकाया राशि (लाख रुपये में) |              |  |  |                                     |
|----------------------------|--------------|--|--|-------------------------------------|
| जमानती                     | गैर - जमानती | कुल (निधिक सीमा का 100% एवं गैर-निधिक सीमा का 50%) | क्या भा.रि.बैंक द्वारा निर्धारित ऋण मानदंडों/सीमाओं से अधिक है | अतिदेय/एनपीए होने पर की गई कार्रवाई |
| 10                         | 11           | 12   | 13   | 14                                  |
|                            |              |  |  |                                     |

**नोट:** उधारकर्ता को मंजूर की गई विभिन्न प्रकार की सुविधाओं को स्तंभ 4 और 5 में अलग से दर्शाया जाए।

प्रोफार्मा - II

----- को समाप्त तिमाही के लिए व्यक्तियों/शेयर ब्रोकरों और अन्य संस्थाओं को शेयरों/डिबेंचरों आदि की जमानत पर दिए गए अग्रिमों का ब्योरा दर्शानेवाला विवरण

(देखें पैरा 5.5.5)

बैंक का नाम : -----

| क्र. सं. | उधारकर्ता का नाम | सीमा का स्वरूप एवं मंजूर की गई राशि | रिपोर्टिंग तिमाही की समाप्ति पर बकाया शेष (लाख रुपये में) | जमानत के रूप में रखे शेयरों/ डिबेंचरों का बाजार मूल्य (लाख रुपये में) | अग्रिम चुकौती की नियत तारीख | 19 अप्रैल 2001 के परिपत्र में निहित रिज़र्व बैंक के अनुदेशों के पालन के लिए की गई कार्रवाई |
|----------|------------------|-------------------------------------|---|---|-----------------------------|--|
| 1        | 2                | 3                                   | 4   | 5   | 6                           | 7  |
|          |                  |                                     |   |   |                             |  |

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

## क (i) मास्टर परिपत्र में समेकित परिपत्रों की सूची

| 0.  | परिपत्र सं.  | तारीख      | विषय   |
|-----|--|------------|--|
| 1.  | <a href="#">शबैवि.बीपीडी(पीसीबी)परि.सं.4<br/>5/13.05.000/2012-13</a>       | 03.04.2013 | शहरी सहकारी बैंकों के लिए गैर जमानती ऋण संबंधी एक्सपोजर मानदंड   |
| 2.  | <a href="#">शबैवि.बीपीडी(पीसीबी)परि.सं.<br/>31 /13.05.000/2011-12</a>      | 26.04.2012 | मौद्रिक नीति वक्तव्य 2012-13 -आवास, स्थावर संपदा, वाणिज्यिक स्थावर संपदा के लिए ऋण सीमा – प्राथमिक (शहरी ) सहकारी बैंक |
| 3.  | <a href="#">शबैवि.बीपीडी(पीसीबी)परि.सं.<br/>47 /13.05.000/2010-11</a>      | 11.05.2011 | मौद्रिक नीति वक्तव्य 2011-12 -आवास, स्थावर संपदा, वाणिज्यिक स्थावर संपदा के लिए ऋण सीमा - प्राथमिक (शहरी )सहकारी बैंक  |
| 4.  | शबैवि.बीपीडी(पीसीबी)परि.सं.1<br>3 /13.05.000/2010-11                       | 15.11.2010 | आवास, स्थावर संपदा, वाणिज्यिक स्थावर संपदा के लिए ऋण सीमा - शहरी सहकारी बैंक   |
| 5.  | शबैवि.बीपीडी(पीसीबी)परि.सं.2<br>1 /13.05.000/2010-11                       | 15.11.2010 | गैर-जमानती ऋण तथा अग्रिमों की अधिकतम सीमा  |
| 6.  | <a href="#">शबैवि.(पीसीबी)<br/>बीपीडी.परि.सं.69/13.05.000/<br/>2010-11</a> | 09.06.2010 | स्थावर संपदा तथा वाणिज्यिक स्थावर संपदा के लिए एक्सपोजर  |
| 7.  | <a href="#">शबैवि.बीपीडी.पीसीबीपरि.सं.63<br/>/16.20.000/2009-10</a>        | 04.05.2010 | प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा गैर-सूचीबद्ध गैर एस एल आर प्रतिभूतियों में निवेश                                  |
| 8.  | शबैवि.बीपीडी.पीसीबीपरि.सं.<br>62 /16.20.000/2009-10                        | 30.04.2010 | आधारभूत संरचना गतिविधियों का कार्य करनेवाली कंपनियों द्वारा जारी बांडो में बैंको द्वारा निवेश का वर्गीकरण              |
| 9.  | <a href="#">शबैवि(पीसीबी)बीपीडी.परि.सं.4<br/>7 /16.20.000/2008-09</a>      | 30.01.2009 | प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों द्वारा गैर एसएलआर प्रतिभूतियों में निवेश   |
| 10. | <a href="#">शबैवि(पीसीबी)बीपीडी.परि.सं.4<br/>6 /16.20.000/2008-09</a>      | 30.01.2009 | प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों द्वारा अन्य बैंकों में जमारशियों का निवेश  |
| 11. | शबैवि(पीसीबी)बीपीडी.परि.सं.1<br>4/16.20.000/2007-08                        | 18.09.2007 | प्राथमिक (शहरी)सहकारी बैंकों द्वारा गैर-एसएलआर ऋण प्रतिभूतियों में निवेश   |
| 12. | <a href="#">शबैवि.पीसीबी.परि.सं.7/13.05.<br/>000/2007-08</a>               | 13.07.2007 | शेयरों/डिबेंचरों की जमानत पर बैंक वित्त  |
| 13. | शबैवि.पीसीबी.परि.सं.31/13.0<br>5.000/2006-07                               | 12.03.2007 | निदेशकों, रिश्तेदारों और उन फर्मों/संस्थाओं को ऋण व अग्रिम देना जिनमें उनका हित निहित है                               |

|     |  |            |   |
|-----|--|------------|---|
| 14. | शबैवि.पीसीबी.परि.सं.29/13.0<br>5.000/2005-06                   | 30.01.2006 | अग्रिमों की अधिकतक सीमा - व्यक्तियों/<br>उधारकर्ता समूहों के लिए ऋण सीमा                                |
| 15. | शबैवि.पीसीबी.परि.सं.22/13.0<br>5.000/2005-06                   | 05.12.2005 | अग्रिमों की अधिकतक सीमा - एकल<br>पक्षकार/संबद्ध समूह को गैर-जमानती<br>अग्रिमों की सीमा                  |
| 16. | शबैवि.पीसीबी.परि.सं.14/13.0<br>5.000/2005-06                   | 06.10.2005 | निदेशकों, रिश्तेदारों और उन फर्मों/<br>संस्थाओं को ऋण व अग्रिम देना जिनमें<br>उनका हित निहित है         |
| 17. | शबैवि.डीएस.परि.सं.44/13.05.<br>000/2005-06                     | 15.04.2005 | अग्रिमों की अधिकतक सीमा - व्यक्तियों/<br>उधारकर्ता समूहों के लिए ऋण सीमा                                |
| 18. | शबैवि.बीपीडी.(पीसीबी)<br>परि.सं.45/16.20.00/ 2003-<br>04       | 15.04.2004 | प्राथमिक सहकारी बैंकों द्वारा गैर-एसएलआर<br>ऋण प्रतिभूतियों में निवेश                                   |
| 19. | शबैवि.बीपीडी.(पीसीबी)<br>परि.सं.34/13.05.00/ 2003-<br>04       | 11.02.2004 | अग्रिमों की अधिकतम सीमा - व्यक्तियों/<br>उधारकर्ता समूहों के लिए ऋण सीमा -<br>पूंजीगत निधियों का परिकलन |
| 20. | शबैवि.बीपीडी.डीएस.(पीसीबी)<br>परि.सं.29/ 13.05.00/ 2003-<br>04 | 05.01.2004 | प्राथमिक सहकारी बैंकों द्वारा शेयरों और<br>डिबेंचरों की जमानत पर वित्त प्रदान करना                      |
| 21. | शबैवि.बीपीडी.पीसीबी.परि.सं.4<br>6/16.20.00/2002-03             | 17.05.2003 | गैर-अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंकों द्वारा<br>अन्य अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंकों में<br>जमाराशि रखना  |
| 22. | शबैवि.बीपीडी.परि.सं.50/13.05<br>.00/ 2002-03                   | 29.04.2003 | निदेशकों, रिश्तेदारों और उन फर्मों/<br>संस्थाओं को ऋण व अग्रिम देना जिनमें<br>उनका हित निहित है         |

|    |   |            |  |
|----|---|------------|--|
| 23 | <a href="#">शबैवि.डीएस.पीसीबी.परि.सं.37/<br/>13.05.00/2001-02</a> | 01.04.2002 | व्यक्ति/उधारकर्ता समूह के लिए ऋण सीमा  |
| 24 | शबैवि.सं.डीएस.पीसीबी.परि.41/<br>13.05.00/2000-01                  | 19.04.2001 | शेयरों/डिबेंचरों की जमानत पर बैंक वित्त  |
| 25 | शबैवि.सं.डीएस.पीसीबी.परि.35/<br>13.05.00/1999-2000                | 13.03.2001 | अग्रिमों की अधिकतक सीमा - वेतन भोगी<br>बैंकों द्वारा गैर-जमानती अग्रिम देना -<br>सीमा में संशोधन   |
| 26 | शबैवि.सं.पीसीबी.परि.25/13.05<br>.00/2000-2001                     | 08.01.2001 | अग्रिमों की अधिकतक सीमा - व्यक्ति/<br>उधारकर्ता समूह के लिए ऋण सीमा -<br>पूंजीगत निधियों का अभिकलन |
| 27 | शबैवि.सं.डीएस.पीसीबी.24/13.<br>05.00/2000- 2001                   | 16.01.2001 | हीरे निर्यातकों को ऋण प्रदान करना -<br>संघर्ष प्रवण हीरों के आयात पर रोक                           |
| 28 | शबैवि.सं.डीएस.4/13.05.00/20<br>00-01                              | 25.08.2000 | अग्रिमों की अधिकतम सीमा - व्यक्ति/<br>उधारकर्ता समूह के लिए ऋण सीमा -                              |

|    |  |            |   |
|----|--|------------|---|
|    |  |            | पूँजीगत निधियों का अभिकलन   |
| 29 | शबैवि.सं.डीएस.पीसीबी.1/13.0<br>5.00/2000-2001      | 28.07.2000 | हीरे निर्यातकों को ऋण प्रदान करना -<br>संघर्ष प्रवण हीरों के आयात पर रोक                  |
| 30 | शबैवि.सं.डीएस.परि.31/13.05.<br>00/1999-2000        | 01.04.2000 | अग्रिम की अधिकतम सीमा - ऋण सीमा   |
| 31 | शबैवि.सं.डीएस.पीसीबी.परि.41/<br>13. 05.00/1997-98  | 12.02.1998 | निदेशकों और उनके रिश्तेदारों को दिए गए<br>अग्रिम  |
| 32 | शबैवि.सं.डीएस.पीसीबी.परि.38/<br>13. 05.00/1996- 97 | 04.02.1997 | व्यक्ति/उधारकर्ता समूह के लिए ऋण सीमा<br>- मीयादी जमाराशियों की जमानत पर<br>अग्रिम        |
| 33 | शबैवि.सं.प्लान.पीसीबी.33/09.<br>09.01/96-97        | 13.12.1996 | प्राथमिक सहकारी बैंकों द्वारा कृषि<br>कार्यकलापों के लिए वित्तपोषण                        |
| 34 | शबैवि.सं.डीएस.पीसीबी.परि.27/<br>13. 05.00/96-97    | 11.11.1996 | अग्रिमों की अधिकतम सीमा - एकल<br>पार्टी/सम्बद्ध ग्रुप के लिए गैर-जमानती<br>अग्रिम की सीमा |
| 35 | शबैवि.सं.डीएस.पीसीबी.निदे.16<br>/13. 05.00/96-97   | 11.11.1996 | अग्रिमों की अधिकतम सीमा   |
| 36 | शबैवि.सं.डीएस.पीसीबी.परि.25/<br>13. 05.00/96-97    | 30.10.1996 | प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा<br>निदेशकों और उनके रिश्तेदारों को प्रदत्त<br>अग्रिम |
| 37 | शबैवि.सं.प्लान.पीसीबी.20/09.<br>63.0096-97         | 16.10.1996 | नाम मात्र सदस्यता के लिए नीति और<br>प्रथा   |
| 38 | शबैवि.सं.डीएस.पीसीबी.परि.65/<br>13. 05.00/95-96    | 31.05.1996 | अन्य बैंकों द्वारा जारी सावधि जमा रसीदों<br>(एफडीआर) की जमानत पर अग्रिम                   |
| 39 | शबैवि.सं.डीएस.पीसीबी.परि.63/<br>13. 05.00/95-96    | 24.05.1996 | गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को उधार देना   |
| 40 | शबैवि.सं.डीएस.पीसीबी.परि.53/<br>13. 05.00/95-96    | 22.03.1996 | अग्रिम की अधिकतम सीमा - व्यक्तियों/<br>उधारकर्ता समूह के लिए ऋण सीमा                      |
| 41 | शबैवि.सं.डीएस.पीसीबी.परि.39/<br>13. 05.00/95-96    | 16.01.1996 | अग्रिम की अधिकतम सीमा - व्यक्तियों/<br>उधारकर्ता समूह के लिए ऋण सीमा                      |
| 42 | शबैवि.सं.डीएस.पीसीबी.निदे.18<br>/13. 05.00/95-96   | 16.01.1996 | अग्रिमों की अधिकतम सीमा   |
| 43 | शबैवि.सं.डीएस.पीसीबी.परि.60/<br>13. 05.00/95-96    | 30.05.1995 | गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का उधार देना   |
| 44 | शबैवि.सं.डीएस.(पीसीबी)<br>परि.58/13.05.00/94-95    | 17.05.1995 | पूरक ऋण/अंतरित वित्तपोषण  |
| 45 | शबैवि.सं.डीएस.पीसीबी.निदे.16<br>/13. 05.00/94-95   | 29.04.1995 | अग्रिमों की अधिकतम सीमा   |
| 46 | शबैवि.सं.डीएस.(पीसीबी)परि.54<br>/13.05.00/94-95    |            | अग्रिमों की अधिकतम सीमा   |
| 47 | शबैवि.सं.डीएस.परि.25/13.05.                        | 21.10.1994 | गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को उधार देना   |

|    |  |            |   |
|----|--|------------|---|
|    | 00/ 94-95  |            |   |
| 48 | शबैवि.सं.आई रेंड<br>एल.आरसीएस.1/<br>12.05.00/94-95 | 15.07.1994 | प्राथमिक सहकारी बैंकों के व्यवसायके साथ स्पर्धा या प्रतिद्वंद्वता जैसे व्यवसाय में लगे व्यक्तियों को ऋण और अग्रिम देना                        |
| 49 | शबैवि.सं.डीएस. परि.पीसीबी.<br>4/13.05.00/94-95     | 12.07.1994 | अग्रिमों की अधिकतम सीमा - निदेशकें और उनके रिश्तेदारों तथा उन संस्थाओं को ऋण और अग्रिम देना जिनमें निदेशको और उनके रिश्तेदारोंका हित निहित है |
| 50 | शबैवि.सं.(पीसीबी) निदे.5/<br>13.05.00/93-94        | 26.05.1994 | अग्रिमों की अधिकतम सीमा   |
| 51 | शबैवि.सं.डीएस.(पीसीबी).परि.7<br>6/13.05.00/93-94   | 26.05.1994 | अग्रिमों की अधिकतम सीमा - निदेशकें और उनके रिश्तेदारों तथा उन संस्थाओं को ऋण और अग्रिम देना जिनमें निदेशको और उनके रिश्तेदारोंका हित निहित है |
| 52 | शबैवि.सं.40/09.63.00/93-94                         | 16.12.1993 | नाममात्र सदस्यता के संबंध में नीति और प्रथा   |
| 53 | शबैवि.सं.(पीसीबी).29/डीसी<br>(आर.1)92-93           | 26.12.1992 | पूरक ऋण/अंतरित वित्तपोषण  |
| 54 | शबैवि.सं.प्लान 8/यूबी.8/91-92                      | 05.12.1992 | नाममात्र सदस्यता के संबंध में नीति और प्रथा   |
| 55 | शबैवि.सं.(पीसीबी) 55/डीसी<br>(आर.1)90-91           | 25.02.1991 | अग्रिमों की अधिकतम सीमा - वसूली के लिए भेजे गए चेकों की जमानत पर अग्रिम   |
| 56 | शबैवि.सं.पीसीबी.2/डीसी<br>(आर.1) 90-91             | 20.07.1990 | लीजिंग/किराया खरीद कंपनियों का वित्तपोषण  |
| 57 | शबैवि.सं.डीसी.99/आर.1/87-<br>88                    | 08.02.1988 | अग्रिमों की अधिकतम सीमा - वेतनभोगी उधारकर्ताओं की अग्रिम  |
| 58 | शबैवि.सं.पी रेंड ओ. 100/86-<br>87                  | 25.06.1987 | नाममात्र सदस्यता के संबंध में नीति और प्रथा   |
| 59 | एसीडी प्लान (आईएफएस)<br>1295/पीआर.36/ 78-79        | 17.10.1978 | भविष्य निर्वाह निधी जैसी सांविधिक देय राशियों का भुगतान करने में चूक करने वाले उधारकर्ताओं को प्राथमिक सहकारी बैंकों द्वारा ऋण सुविधाएं       |

B. अन्य परिपत्रों की सूची जिनमें से ऋण सीमा संबंधी मानदंडों एवं ऋणों व अग्रिमों पर सांविधिक/अन्य प्रतिबंधों से संबंधित अनुदेशों को भी इस मास्टर परिपत्र में समेकित किया गया है

| सं. | परिपत्र सं.  | तारीख      | विषय  |
|-----|--|------------|---|
| 1.  | <a href="#">शबैवि.बीपीडी.(पीसीबी)परि.सं. 7/09.22.010 / 2011-12</a> | 31.10.2011 | आवास ऋण सीमा और चुकौती की अवधि में संशोधन – मौद्रिक नीति 2011-12 की दूसरी तिमाही समीक्षा  |
| 2.  | शबैवि.बीपीडी.(पीसीबी)परि.सं.50 /13.05.000(बी) / 2010-11            | 02.06.2011 | प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) तथा संयुक्त देयता समूह (जेएलजी) का वित्तपोषण                      |
| 3.  | शबैवि.सं.डीएस.पीसीबी.7/13.04.00/2000-2001                          | 10.10.2000 | मौद्रिक और ऋण नीति उपाय - वर्ष 2000-2001 के लिए मध्यावधि समीक्षा  |
| 4.  | शबैवि.सं.डीएस.एसयूबी.2/13.05.00/2000-2001                          | 25.08.2000 | बैंकों द्वारा बिलों की पुनर्भुनाई   |
| 5.  | शबैवि.सं.प्लान.एसपीसीबी.01/09.09.01/2000-2001                      | 01.07.2000 | प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार - कृषि के लिए आगे उधार देने के लिए एमबीएफसी को उधार देना                                       |
| 6.  | शबैवि.सं.डीएस.एसयूबी.3/13.05.00/1999-2000                          | 21.09.1999 | बैंकों द्वारा बिलों की पुनर्भुनाई   |
| 7.  | शबैवि.प्लान.सं.एसपीसीबी.01/09.09.01/99-2000                        | 27.11.1999 | प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार - खाद्य और कृषि आधारित प्रक्रिया, वानिकी और अति लघु उद्यमों के लिए ऋण प्रवाह                   |
| 8.  | शबैवि.सं.डीएस.पीसीबी.परि.10/13.05.00/98-99                         | 27.11.1998 | शेयरों/डिबेंचरों की जमानत पर अग्रिम   |
| 9.  | शबैवि.प्लान.जीआर.एसयूबी.5/09.09.01/98-99                           | 18.11.1998 | ट्रकों के वित्तपोषण की जमानत पर एनबीएफसी को वित्तपोषण प्रदान करने के लिए बैंक ऋण - प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकरण |
| 10. | शबैवि.सं.डीएस.पीसीबी.परि.55/13.05.00/97-98                         | 29.04.1998 | शेयरों/डिबेंचरों की जमानत पर अग्रिम   |
| 11. | शबैवि.सं.डीएस.पीसीबी.परि.46/13.05.00/96-97                         | 23.04.1997 | संघीय व्यवस्था के अंतर्गत उधार देना   |
| 12. | शबैवि.सं.डीएस.पीसीबी.परि.40/13.05.00/96-97                         | 08.04.1996 | कार्यशील पूंजी के लिए उधार - तदर्थ सीमा की मंजूरी   |
| 13. | शबैवि.सं.प्लान.पीसीबी.परि.60/09.78.00/95-96                        | 08.04.1996 | उपकरण लीजिंग और किराया खरीद कार्य-कलापों के लिए वित्तपोषण   |
| 14. | शबैवि.सं.डीएस.पीसीबी.परि.35/13.05.00/95-96                         | 05.01.1996 | संयुक्त शेयर कंपनियों के शेयरों और डिबेंचरों की जमानत पर वित्तीय सहायता प्रदान करना   |

|     |  |            |  |
|-----|--|------------|--|
| 15. | शबैवि.सं.प्लान.परि.आरसीएस-<br>9/09.22.01/95-96 | 01.09.1995 | आवास योजनाओं के लिए वित्तपोषण -<br>प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक                         |
| 16. | शबैवि.सं.डीसी.7/13.05.00/<br>95-96             | 09.08.1995 | संयुक्त शेयर कंपनियों के शेयरों और डिबेंचरों<br>की जमानत पर वित्तीय सहायता प्रदान करना |
| 17. | शबैवि.सं.(पीसीबी) 50/<br>13.05.00/93-94        | 14.01.1994 | कतिपय क्षेत्रों के लिए ऋण पर प्रतिबंध -<br>स्थावर संपदा ऋण                             |
| 18. | शबैवि.सं.(पीसीबी) 54/डीसी<br>(आर-1) 92-93      | 07.04.1993 | कतिपय क्षेत्रों के लिए ऋण पर प्रतिबंध  |
| 19. | शबैवि.सं.(पीसीबी) 38/डीसी<br>(आर-1) 91-92      | 13.11.1991 | कतिपय क्षेत्रों के लिए ऋण पर प्रतिबंध  |

\*\*\*\*\*